

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण 8, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 25264-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है। जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४४ सन् २०११

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

धारा ५६ का संशोधन.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५६ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३) यदि सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिस पर कि उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व नियत किया गया हो, अभिलेख, रजिस्टर, लेखा-पुस्तकें संधारित करने में और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करे, विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी के बारे में यह घोषित कर सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, सोसाइटी के संचालक मण्डल का सदस्य होने के लिए निरहित रहेगा और यदि वह अधिकारी सोसाइटी का कर्मचारी है तो उस पर पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु यदि ऐसा अधिकारी प्राथमिक सहकारी साख संरचना का कोई कर्मचारी है तो उस पर पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए.”.

धारा ८०-का का स्थापन.

अधीन स्थ अधिकारियों और सोसाइटी के संचालक मण्डल की कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आदेश पारित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

३. मूल अधिनियम की धारा ८०-का के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“८०-क. रजिस्ट्रार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच या कार्यवाहियों का अभिलेख या किसी सोसाइटी के संचालक मण्डल के किसी विनिश्चय या आदेश को, किए गए किसी विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारी या संचालक मण्डल की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा. यदि किसी मामले में रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार मंगाए गए किसी विनिश्चय या आदेश या कार्यवाहियों को उपांतरित किया जाना चाहिए, बातिल किया जाना चाहिए या उलटा जाना चाहिए तो रजिस्ट्रार उन पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु सहकारी साख संरचना की दशा में, रजिस्ट्रार के निष्कर्ष, सोसाइटी को संसूचित किए जाएंगे और सोसाइटी, इस प्रकार संसूचित सलाह को समिति के समक्ष अभिलेख में रखेंगी और समुचित विनिश्चय करेगी :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे पक्षकार को सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो :

परन्तु यह भी कि इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएंगी.”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

किसी सहकारी साख सोसाइटी के संचालक मण्डल के किसी सदस्य को तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निरहित किए जाने के उपबंध को पुनःस्थापित करने की दृष्टि से, तथा प्राथमिक सहकारी साख संरचना के कर्मचारियों के लिए शास्ति की रकम को पांच हजार रुपये तक कम करने तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सुझाए गए वैद्यनाथन पैकेज के अंतर्गत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के उपबंधों के अनुपालन में रजिस्ट्रार द्वारा, सहकारी साख सोसाइटियों को परामर्श देने का उपबंध करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं।

२. उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं वाला यह विधेयक प्रस्तावित है:—

- (१) निरहता के लिए तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि का उपबंध करने और प्राथमिक सहकारी साख संरचना के कर्मचारी के लिए शास्ति की रकम कम करके पांच हजार रुपये करने के लिए धारा ५६ यथोचित् रूप से संशोधित की गई है।
- (२) रजिस्ट्रार के निष्कर्षों को, समुचित विनिश्चय करने के लिए, सहकारी साख संरचना को संसूचित करने का उपबंध करने के लिए धारा ८०-को यथोचित् रूप से संशोधित किया गया है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख २४ नवम्बर सन् २०११

गौरीशंकर बिसेन
भारसाधक सदस्य.

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 541]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2011—अप्रहायण 9, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 7031-410-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 44 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act,1960.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2011.

Amendment of Section 56.

2. In Section 56 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act,1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(3) If any officer or employee of the society, on whom specific responsibility has been fixed under sub-section (2), fails to maintain the records, registers, books of accounts and to furnish to the Registrar such information and such returns as may be required by the Registrar within the specified time, the Registrar may, by order, declare such officer to be disqualified for being a member of the Board of Directors of a society for such period not exceeding three years as he may specify in such order and if the officer is an employee of the society, impose on him a penalty not exceeding fifty thousand rupees:

Provided that if such officer is an employee of primary co-operative credit structure, a penalty not exceeding five thousand rupees may be imposed on him:

Provided further that no order shall be made under this sub-section unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.”.

Substitution of Section 80-A.

3. For Section 80-A of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

Power of Registrar to call for proceedings of sub-ordinate officers and Board of Directors of a society and to pass orders thereon.

“80-A. The Registrar may, at any time on his own motion or on an application made by any party, call for and examine the record of any enquiry or the proceedings by any sub-ordinate officer or a decision or order of the Board of Directors of a society for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any decision or order passed and as to the regularity of the proceedings of such officer or Board of Directors. If in any case it appears to the Registrar that any decision or order or proceedings so called for should be modified, annulled or reversed, the Registrar may pass such order thereon as he may deem fit :

“Provided that in case of co-operative credit structure, the findings observed by the Registrar shall be communicated to the society, and the society shall place on record before the committee the advise so communicated and take appropriate decision :

Provided further that no order under this section shall be made to the prejudice of any party unless such party has had an opportunity of being heard :

Provided also that powers of Registrar under this section shall not be delegated to an officer not below the rank of Joint Registrar.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to replace the provision of removal of a member of the Board of Directors of co-operative credit societies by disqualification for a period not exceeding three years and reducing the penalty amount to five thousands for employee of primary co-operative credit structure and to make provisions for giving advisory opinion to co-operative credit societies by Registrar in compliance of the provisions of memorandum of understanding signed under Vaidhyanathan Package as suggested by the National Bank for Agricultural and Rural Development, necessary amendments are proposed in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

2. In order to achieve the aforesaid objects, this Bill is proposed having the following salient features :—

- (1) Section 56 is suitably amended to make provision for disqualification for a period not exceeding three years and reducing the penalty amount to five thousands rupees for employee of primary co-operative credit structure.
- (2) Section 80-A is suitably amended to make provision to communicate the findings of Registrar to the co-operative credit structure for taking appropriate decision.

3. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated, the 24th November, 2011.

GAURI SHANKAR BISEN
Member-in-Charge.